प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/मा0स्वा0/मा0संसा0/105–4/2018–19/ 7187-75 दिनांक 04/10/2018

विषय– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2018–19 में प्रथम सन्दर्भन इकाइयों के संचालन हेतु संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों से सम्बन्धित दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य कार्ययोजना पर भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश में एफ0आर0यू0 पर कार्यरत संविदा विशेषज्ञों चिकित्सकों के मानदेय एवं कार्य सम्बन्धित दिशा–निर्देश निम्नवत है–

1. **प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ/शल्यक एवं निश्चेतक की तैनाती–**

- ✓ गत वर्ष पत्र संख्या–एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ.आर.यू./84डी0–वॉ–2/2015–16/7401–75–10 दिनांक 16.10.2015 द्वारा प्रदेश के कुल 286 प्रथम सन्दर्भन इकाइयों को जनपद एवं स्वास्थ्य इकाई की भौगोलिक स्थिति यथा जनपद मुख्यालय/तहसील/ब्लॉक इकाई मुख्यालय से दूरी, इकाई द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल/जनसंख्या, दुर्गमता, क्षेत्र का पिछड़ापन, नक्सली प्रभावित क्षेत्र तथा लम्बे समय से विषेषज्ञों की अनुपलब्धता आदि बिन्दुओं पर क्रमशः 89 केटेगरी ए, 135 केटेगरी बी एवं 62 केटेगरी सी में वर्गीकृत किया गया। पत्र में विभिन्न केटेगरी के लिये मानदेय के स्लैब भी निर्धारित किये जो निम्नानुसार हैं–

✓ केटेगरी	✓ स्लैब–1	✓ स्लैब–2	✓ स्लैब–3	✓ स्लैब–4
✓ ए	✓ 65000	✓ 70000	✓ 75000	✓ 80000
✓ बी	✓ 85000	✓ 90000	✓ 95000	✓ 100000
✓ सी	✓ 105000	✓ 110000	✓ 115000	✓ 120000

- ✓ उपर्युक्त स्लैब 1, 2, 3, 4 एम0डी0/एम0एस0 की डिग्री धारकों के लिये क्रमशः 02 वर्ष से कम, 02–05 वर्ष, 05–08 वर्ष एवं 08 से अधिक वर्ष का अनुभव हैं। डिप्लोमा धारकों को अगले स्लैब में जाने के लिये एक अधिक वर्ष अर्थात दूसरे, तीसरे एवं चौथे स्लैब हेतु कम से कम क्रमशः 03, 06, 09 वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा। उपर्युक्तानुसार जिन विशेषज्ञों का अनुभव अगले स्लैब में जाने के बराबर हो जायेगा वे अगले स्लैब के लिये अर्ह होंगे। तद्नुसार स्लैब स्वीकृत करने के लिये जिला स्वास्थ्य समिति अधिकृत है जिसकी सूचना राज्य स्तर पर अगले माह की एफ0आर0यू0 रिपोर्ट में देनी आवश्यक होगी।
- ✓ कतिपय जनपदों में संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों के तैनाती स्थल स्थिर नहीं किये गये हैं जिससे उनके मानदेय के स्लैब भी लागू नहीं किये जा सके हैं। यह सर्वथा अनुचित है। सभी पूर्व से कार्य कर रहे संविदा विशेषज्ञों के उपर्युक्त तालिकानुसार तैनाती स्थल व स्लैब में मानदेय निर्धारण का प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति से अतिशीघ्र स्वीकृत करायें। **नॉन एफ0आर0यू पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों को निष्कासित/अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।**
- ✓ प्रदेश में प्रथम सन्दर्भन इकाइयों हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन वाक–इन इण्टर व्यू एवं विड मॉडल के माध्यम से किया जा रहा है।
- ✓ विड मॉडल के माध्यम से चयनित विशेषज्ञों के मानदेय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश–पत्रांक संख्या–एस0पी0एम0यू0/मा0स्वा0/मा0संसा0/105–4/2018–19/2471–17 दिनॉक 11.06.2018 द्वारा ही किया जायेगा।
- ✓ वित्तीय वर्ष 2018–19 में रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया मानव संसाधन अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ से निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार की जायेगी।
- ✓ मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर संविदा विशेषज्ञ की तैनाती कार्यस्थल परिवर्तित नहीं किया जाना है।

- ✓ जनपदों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किये गये कार्यों की राज्य स्तर पर समीक्षा करने पर संज्ञान में आया है कि प्रायः जनपद स्तर पर उनके कार्यों का नियमित मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार की कंडीशनैलिटी के अनुसार संविदा पर कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ/सर्जन या एनेस्थेटिस्ट द्वारा प्रति माह ग्रामीण क्षेत्र में औसतन 05 एवं जनपदीय चिकित्सालयों में 10 सीजेरियन प्रसव कराया जाना आवश्यक है अन्यथा उनकी सेवा समाप्त की जा सकती हैं।
- ✓ **मुख्य चिकित्साधिकारी अधोउपलब्धि वाले विशेषज्ञों के साथ समय समय पर बैठक आयोजित कर स्थानीय स्तर पर गतिरोध अथवा सहयोग की कमी का निराकरण करना सुनिश्चित करें।** अतः कम उपलब्धि के लिये एफ0आर0यू0 प्रभारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच0 तथा मुख्य चिकित्साधिकारी समान रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे। आवश्यक्तानुसार सीजेरियन हेतु टीम पूर्ण करने के लिये ऑन कॉल विशेषज्ञ चिकित्सक के प्रावधान का प्रयोग करना सुनिश्चित करें एवं इलेक्टिव सीजेरियन प्रसव आरम्भ करने हेतु उपयुक्त वातावरण दें।

2. कार्य एवं उत्तरदायित्व–

- ✓ किसी भी माह में शून्य अथवा औसतन 05 सीजेरियन सेक्शन प्रति माह (ग्रामीण इकाई पर) अथवा औसतन 10 सीजेरियन सेक्शन प्रति माह (जनपद स्तर पर) से कम उपलब्धि वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को चेतावनी निर्गत कर प्रशासनिक सहयोग से उपलब्धि बढ़ाने का प्रयास करें। **प्रायः देखा जा रहा है कि जनपद स्तर पर संविदा विशेषज्ञों द्वारा कम उपलब्धि होने पर उनका मानदेय रोक दिया जाता जो कि उचित नहीं है। वरन् लगातार तीन माह तक अधोप्रगति होने पर अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर राज्य स्तर पर इसकी सूचना प्रेषित करें।** संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों से मेडिको लीगल/पोस्टमार्टम कार्य न कराया जाये।
- ✓ प्रत्येक सक्रिय प्रथम सन्दर्भन इकाई (जिला महिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय की महिला विंग अथवा एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0) के लिए संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ का दायित्व आउटडोर, ए0एन0सी0 क्लीनिक, हाई रिस्क एवं सीवियर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का प्रबन्धन, सामान्य एवं जटिल प्रसवों का उपचार, सिजेरियन प्रसव, प्रसव कक्ष/शल्य कक्ष की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण, भर्ती मरीजों की देखभाल, सुरक्षित गर्भपात जैसे कार्य सम्पादित करना है। जहाँ पर 01 से अधिक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वहाँ शिफ्ट डयूटी रोस्टर बनाकर 24 घण्टे सीजेरियन प्रसव सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करें।
- ✓ इसी प्रकार संविदा निश्चेतक का उत्तरदायित्व होगा कि वे रूटीन इलेक्टिव सर्जरी में सहयोग करेंगे एवं आवश्यकतानुसार 24 घंटे जटिल सीजेरियन प्रसव प्रबन्धन हेतु भी उपलब्ध रहेंगे।
- ✓ एफ0आर0यू0 पर तैनात सभी चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों (नियमित अथवा संविदा) की पोस्ट ऑपरेटिव केयर एक सामूहिक जिम्मेदारी होगी जो रोस्टर ड्यूटी के आधार पर इसे सम्पादित करेंगे। इस हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी प्रथम सन्दर्भन इकाई यथासम्भव सहयोग देते हुए आवश्यक संसाधन की उपलब्धता एवं समन्वय सुनिश्चित करायें।

3. वित्तीय व्यवस्था–

- ✓ वाक–इन–इन्टरव्यू एवं विड मॉडल के माध्यम से कार्यरत संविदा विशेषज्ञ चिकित्सक (स्त्रीरोग/सर्जन) के मानदेय का भुगतान एफ0एम0आर0 संख्या–8.1.2.1 एवं संविदा निश्चेतकों का एफ0एम0आर0 संख्या–8.1.2.3 से किया जायेगा है।
- ✓ ध्यान रहे कि यह औसत दर, आंकलन की सहूलियत के लिये है। **01 अप्रैल 2018 से मानकानुसार क्रियाशील विशेषज्ञ चिकित्सकों का स्लैब निर्धारित कर उन्हें मानदेय आबंटित किया जाये।**
- ✓ प्रत्येक माह चिन्हित एफ0आर0यू0 की प्रगति रिपोर्ट को संलग्न प्रारूपों पर uphmis.nic.in पर अवश्य उपलब्ध करा दें। यह रिपोर्ट सभी जिला कार्यक्रम प्रबन्धक अपने जनपद के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच0 के सहयोग से तैयार कर मण्डलीय कार्यालय को तथा upnhmfru@gmail.com पर ससमय प्रेषित करें।

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत पदों एवं राज्य स्तर से प्रेषित जनपदवार सूची से अधिक भर्ती न करें। अन्यथा किसी भी अप्रिय स्थिति अथवा मुकदमें या हर्जाने के लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

4. <u>सामान्य वित्तीय दिशा निर्देश–</u>

- ✓ समस्त अभिलेखों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर संकलित किया जाये।
- ✓ अपने जनपद में सभी स्वीकृत संविदा पदों पर कर्मियों की औचित्यपूर्ण तैनाती का पूर्ण उत्तरदायित्व जिला स्वास्थ्य समिति एवं मुख्य चिकित्साधिकारी का ही है।
- ✓ संलग्न तालिका में जनपदवार स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर भर्ती किसी भी स्थिति में नहीं की जायेगी। इसमें पूर्व के सभी स्वीकृत पद समाहित हैं।
- ✓ आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- ✓ कोई भी भुगतान नगद न किया जाये वरन् आधार कार्ड लिंक्ड बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से ही किया जाये।
- ✓ संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार सभी संविदा कर्मियों का मानदेय उनके कार्यावधि के आधार पर ही दिया जायेगा।
- ✓ प्राविधानित धनराशि का व्यय आबंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- ✓ धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- ✓ उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0/मा0स्वा0/मा0संसा0/105वॉ–4/2018–19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला/जिला संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
8. समस्त महाप्रबन्धक/वित्त नियंत्रक–एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक एम0आई0एम, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0,उ0प्र0 को इस आशय प्रेषित कि दिशा–निर्देशों को एन0एच0एम0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. विधि परामर्शदाता एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0,उ0प्र0 को इस आशय प्रेषित कि इससे सम्बन्धित होने वाले वादों में संज्ञान लेने हेतु।
11. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,एन0एच0एम0,उ0प्र0।
12. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
13. गार्ड फाइल

(डा0 स्वप्ना दास)
महाप्रबन्धक मातृ स्वा0

DHAP Budget 2018-19 Specialists FMR-8.1.2

S. No.	Name of District	Obstetricians and Gynecologists	Anesthetists	Budget Obstetricians and Gynecologists	Budget Anesthetists	Total budget
		8.1.2.1	8.1.2.3	8.1.2.1	8.1.2.3	
1	Agra	5	3	48,00,000	28,80,000	76,80,000
2	Aligarh	6	4	57,60,000	38,40,000	96,00,000
3	Allahabad	6	3	57,60,000	28,80,000	86,40,000
4	Ambedkar Nagar	2	2	19,20,000	19,20,000	38,40,000
5	Amethi	2	2	19,20,000	19,20,000	38,40,000
6	Amroha (JP Nagar)	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
7	Auraiya	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
8	Azamgarh	2	2	19,20,000	19,20,000	38,40,000
9	Baghpat	3	1	28,80,000	9,60,000	38,40,000
10	Bahraich	3	1	28,80,000	9,60,000	38,40,000
11	Ballia	2	2	19,20,000	19,20,000	38,40,000
12	Balrampur	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
13	Banda	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
14	Barabanki	2	2	19,20,000	19,20,000	38,40,000
15	Bareilly	4	2	38,40,000	19,20,000	57,60,000
16	Basti	3	1	28,80,000	9,60,000	38,40,000
17	Bijnor	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
18	Budaun	3	1	28,80,000	9,60,000	38,40,000
19	Bulandshahar	3	2	28,80,000	19,20,000	48,00,000
20	Chandauli	4	1	38,40,000	9,60,000	48,00,000
21	Chitrakoot	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
22	Deoria	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
23	Etah	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
24	Etawah	3	1	28,80,000	9,60,000	38,40,000
25	Faizabad	4	1	38,40,000	9,60,000	48,00,000
26	Farukkhabad	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
27	Fatehpur	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
28	Firozabad	3	1	28,80,000	9,60,000	38,40,000
29	Nagar	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
30	Ghaziabad	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
31	Ghazipur	2	2	19,20,000	19,20,000	38,40,000
32	Gonda	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
33	Gorakhpur	10	4	96,00,000	38,40,000	1,34,40,000
34	Hamirpur	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
35	Hapur	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
36	Hardoi	3	2	28,80,000	19,20,000	48,00,000
37	Hathras	3	1	28,80,000	9,60,000	38,40,000
38	Jalaun	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
39	Jaunpur	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
40	Jhansi	3	2	28,80,000	19,20,000	48,00,000
41	Kannauj	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
42	Kanpur Dehat	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
43	Kanpur Nagar	13	6	1,24,80,000	57,60,000	1,82,40,000
44	Kasganj	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
45	Kaushambi	2	2	19,20,000	19,20,000	38,40,000
46	Kushi Nagar	3	2	28,80,000	19,20,000	48,00,000
47	Lakhimpur Kheri	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
48	Lalitpur	2	2	19,20,000	19,20,000	38,40,000
49	Lucknow	17	4	1,63,20,000	38,40,000	2,01,60,000
50	Maharajganj	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
51	Mahoba	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
52	Mainpuri	2	2	19,20,000	19,20,000	38,40,000

DHAP Budget 2018-19 Specialists FMR-8.1.2

S. No.	Name of District	Obstetricians and Gynecologists	Anesthetists	Budget Obstetricians and Gynecologists	Budget Anesthetists	Total budget
53	Mathura	3	1	28,80,000	9,60,000	38,40,000
54	MAU	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
55	Meerut	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
56	Mirzapur	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
57	Moradabad	4	2	38,40,000	19,20,000	57,60,000
58	Muzaffar Nagar	2	2	19,20,000	19,20,000	38,40,000
59	Pilibhit	2	2	19,20,000	19,20,000	38,40,000
60	Pratapgarh	3	2	28,80,000	19,20,000	48,00,000
61	Raebareli	3	2	28,80,000	19,20,000	48,00,000
62	Rampur	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
63	Saharanpur	4	3	38,40,000	28,80,000	67,20,000
64	Sambhal	2	2	19,20,000	19,20,000	38,40,000
65	Sant Kabir Nagar	3	2	28,80,000	19,20,000	48,00,000
66	Sant Ravidas Nagar	2	2	19,20,000	19,20,000	38,40,000
67	Shahjahanpur	3	2	28,80,000	19,20,000	48,00,000
68	Shamali	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
69	Shravasti	2	2	19,20,000	19,20,000	38,40,000
70	Siddharth Nagar	2	2	19,20,000	19,20,000	38,40,000
71	Sitapur	2	2	19,20,000	19,20,000	38,40,000
72	Sonbhadra	2	2	19,20,000	19,20,000	38,40,000
73	Sultanpur	2	1	19,20,000	9,60,000	28,80,000
74	Unnao	3	2	28,80,000	19,20,000	48,00,000
75	Varanasi	5	3	48,00,000	28,80,000	76,80,000
Total		225	125	21,60,00,000	12,00,00,000	33,60,00,000